जिला कलैक्टर 85/17
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 85/2017 अनवानी श्री अश्वनी कुमार अवस्थी वीपीओ धानौटू वाया रेत, तहसील शाहपुरा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर, घडसाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20—12—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार अवस्थी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार के डाक से प्राप्त प्रा0 पत्र दिनांक 25.11.17 व 07.12.17 शामिल पत्रावली किये गये। उपखण्ड अधिकारी घड़साना का मेल पर प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 2646 दिनांक 18.12.17 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अश्वनी कुमार अवस्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचना चाही थीः—

मैने मेनेजमेंट आफ पौंग बांध विस्थापित, सराय सखी रोड, घड़साना जिला श्रीगंगानगर (आवेदन पत्र की प्रति सलंग्न है) के लिए 17.08.2017 को एक आवेदन किया था लेकिन मेरे आवेदन पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है। इसी सन्दर्भ में माननीय मुख्य न्यायधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली को 12.09.2017 को भी आवेदन (प्रति सलंग्न) किया गया है एवं जिसकी प्रति आपकी सेवा में भी पृष्ठांकित की गई है। इसके संबंध में कृपया निम्नलिखित सूचना प्रदान करेंः—

1. **कृपया मेरे आवेदन पर दैनिक प्रगति बताए।**
2. **कृपया उन कर्मचारियो के नाम और पते बताए जिनके पास उक्त अवधि में मेरी अर्जी पड़ी रही है। कृपया बताए किस अधिकारी के पास किस अवधि तक वह पडी रही और कर्मचारी ने उस अवधि में उस पर क्या कार्यवाही की।**
3. **कृपया इस बात का प्रमाण दे कि कार्यालय ने उन प्रत्येक कर्मचारियो के पास मेरा आवेदन किस तारीख को प्राप्त हुआ और किस तारीख को प्रेषित किया गया।**
4. **आपके नियमो का नागरिक चार्टर या किसी, अन्य प्रदेश के अनुसार इस तरह के मामले पर कितने दिन तक कार्यवाही की जानी चाहिए और हल किया जाना चाहिए। कृपया इन नियमों की प्रति प्रदान करे।**
5. **उपर्युक्त कर्मचारियों ने क्या इन नियमों में उल्लेखित नियमो का पालन नही किया है, क्या ये कर्मचारी नियमो का उल्लंघन करने के दोषी है, और इस तरह आचरण के लिए दोषी है कृपया उनके आचरण नियमों की एक प्रति प्रदान करे जिन का उन्होने उल्लघंन किया है।**
6. **इन कर्मचारियो ने मुझे गम्भीर मानसिक आघात पहुंचाया है और मैं इधर—उधर भटकता फिरा हूं। क्या ये कर्मचारी जनता को मानसिक पेरशानी देने के प्रति दोषी है।**
7. **उपर्युक्त नियमो का उल्लंघन करने और जनता को मानसिक यंत्रणा देने के कारण इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है।**
8. **मेरी समस्या का हल अब कौन करेगा।**

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या 2646 दनांक 18.12.17 के साथ प्राप्त पत्र संख्या 1889 दिनांक 04.09.17 के अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः—

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर 85/17
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पौंग बांध विस्थापितों के लिए बनी हुई सराय सखी रोड़ घडसाना के सम्बंध में सूचना चाही गई है इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त सराय से सम्बंधित इस कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नही है। अतः सूचना दी जाना सम्भव नही है सूचनार्थ प्रेषित है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 04.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए: अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 2183-8
22.12.1

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर